

कार्यालय:- अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी
E-mail- adgarhwalmandalpauri@gmail.com

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ ४२० / ३क(२)/ अनि.स्था./ २०२४-२५/ दिनांक ३० जुलाई २०२४

स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार अनिवार्य स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम हेतु तैयार की गयी पात्रता सूची में शासनादेश संख्या 198739 / XXX(2)/E-33080 दिनांक 14.03.2024, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड के कार्यवृत्त / विविध/ 2116-22 /स्थानोबैठक/ 2024-25 दिनांक 02 मई 2024, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक /सेवा-2/ 3(क)/ 2(1)/वा०स्थाना० / 3456-69 / 2024-25 दिनांक 15 मई 2024, शासनादेश संख्या- 221278 / XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 28 जून 2024, शासनादेश संख्या: 1016 / XXIV-B-1/24/07(04)2016 दिनांक 04 जुलाई 2024 एवं शासनादेश संख्या 223526 / XXX(2)/2024/E33080 दिनांक 08 जुलाई 2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अधिनियम की धारा 17(1)(क) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के प्राविधानानुसार गढ़वाल मण्डलान्तर्गत स०३०एल०टी० स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं के द्वारा उनके नाम के समुख स्तम्भ- 4 के विद्यालय/संस्था से स्तम्भ- 5 में उनके द्वारा कांउसिलिंग के माध्यम से चयनित/स्थानान्तरण अधिनियम में दी गयी व्यवस्थानुसार दुर्गम क्षेत्र के विद्यालय में अनिवार्य रूप से स्थानान्तरित किया जाता है—

सहायक अध्यापक एल०टी० (सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय/ संस्था का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1	डॉ मनोज कुमार शुक्ला	गणित	एस.सी.ई.आर.टी. देहरादून, रायपुर, देहरादून	रा०इ०का० सेमण्डीधार, जाखणीधार, टिहरी
2	श्री उमेश चंद्र सती	सामाजिक विज्ञान	रा०इ०का० जोशीमठ, जोशीमठ, चमोली	रा०इ०का० बडागाँव, जोशीमठ, चमोली
3	श्री मनोज कुमार शर्मा	अंग्रेजी	रा०उ०मा०वि० मोहितपुर, भगवानपुर, हरिद्वार	रा०इ०का० सेमण्डीधार, जाखणीधार, टिहरी
4	अर्चना सती	हिन्दी	रा०इ०का० जाखणीधार, जाखणीधार, टिहरी	रा०इ०का० खांकर, नरेन्द्रनगर, टिहरी
5	श्रीमती कुसुमलता राणा	विज्ञान	रा०इ०का० बौराडी नई टिहरी, चम्बा, टिहरी	रा०इ०का० खण्डकरी, चम्बा, टिहरी
6	वन्दना शर्मा	सामाजिक विज्ञान	रा०इ०का० कोटडीढांग, दुगड़ा, पौड़ी	रा०इ०का० माण्डई, दुगड़ा, पौड़ी
7	शशि जोशी	विज्ञान	रा०इ०का० दुआधर, नरेन्द्रनगर, टिहरी	रा०इ०का० बेड़धार, नरेन्द्रनगर, टिहरी
8	श्री राकेश रत्नेंद्री	सामाजिक विज्ञान	रा०इ०का० दुआधर, नरेन्द्रनगर, टिहरी	रा०इ०का० उप्पू थौलधार, टिहरी
9	विजया भट्ट	हिन्दी	रा०इ०का० रत्नेंद्री (धनपुर), अगस्तमुनि, रुद्रप्रयाग	रा०इ०का० पित्रधार, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग
10	सुषमा रौथाण	कला	रा०इ०का० बुल्लावाला, डोईवाला, देहरादून	रा०इ०का० मुन्नाखाल, देवप्रयाग, टिहरी


11	श्री नंदन सिंह राणा	हिन्दी	रा०इ०का० जवाड़ी, जखोली, रुद्रप्रयाग	रा०इ०का० पोखरी, नरेन्द्रनगर, टिहरी
12	श्री प्रदीप कुमार	व्यायाम	रा०उ०मा०वि० खेड़ी कला, लक्ष्मर, हरिद्वार	रा०उ०मा०वि० विन्द्रातोक, द्वारीखाल, पौड़ी
13	ममता पुंडीर	अंग्रेज़ी	रा०उ०मा०वि० शेरगढ़, डोईवाला, देहरादून	रा०उ०मा०वि० काण्डोईधार, कालसी, देहरादून
14	श्री सुशील जोशी	सामाजिक विज्ञान	रा०इ०का० भल्लेगांव, देवप्रयाग, टिहरी	रा०इ०का० रिगोली, कीर्तिनगर , टिहरी
15	श्री अतर सिंह	गणित	रा०इ०का० थत्यूड़, जौनपुर, टिहरी	रा०इ०का० कुन्नाडागुरा, कालसी, देहरादून
16	रजनी नेगी	गणित	रा०इ०का० होरावाला, विकासनगर, देहरादून	रा०इ०का० ठांगधार , चम्बा, टिहरी
17	श्री रजनेश कुमार	कला	रा०इ०का० बड़कोट, जाखणीधार, टिहरी	रा०इ०का० सेमण्डीधार, जाखणीधार, टिहरी
18	रेनू नवानी	कला	रा०इ०का० जोशीमठ, जोशीमठ, चमोली	रा०इ०का० बडागाँव, जोशीमठ, चमोली
19	रेखा ध्यानी	अंग्रेज़ी	रा०इ०का० द्वारीखाल, द्वारीखाल, पौड़ी	रा०उ०मा०वि० जुड़ा रोडियाल, दुगड़ा, पौड़ी
20	श्री चिंतामणि डंगवाल	कला	रा०इ०का० रानीचौरी, चम्बा, टिहरी	रा०इ०का० नागदेव पथल्ड , चम्बा , टिहरी
21	श्री शीशपाल सिंह	सामाजिक विज्ञान	रा०इ०का० रतूडा (धनपुर), अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	रा०उ०मा०वि० कवीली कुरझाण, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग
22	श्री अरविंद चंद्र बहुगुणा	हिन्दी	रा०इ०का० जाखणीधार, जाखणीधार, टिहरी	रा०इ०का० नौधर पालकोट, नरेन्द्रनगर, टिहरी
23	श्री अखिलेश व्यास	कला	रा०इ०का० उत्तरकाशी, भटवाड़ी, उत्तरकाशी	रा०उ०मा०वि० पाटा, भटवाड़ी, उत्तरकाशी
24	संतोषी रावत	हिन्दी	रा०उ०मा०वि० मोहितपुर, भगवानपुर, हरिद्वार	रा०इ०का० सौली (कौड़िया), जयहरीखाल, पौड़ी
25	श्री पदम सिंह नेगी	हिन्दी	रा०इ०का० कोठगी, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	रा०उ०मा०वि० मलेथा, चकराता, देहरादून
26	कुसुम खण्डूड़ी	सामाजिक विज्ञान	रा०इ०का० बड़कोट, जाखणीधार, टिहरी	रा०इ०का० कनैलधार, जाखणीधार, टिहरी
27	श्री राजदर्शन सिंह मखलोगा	सामाजिक विज्ञान	रा०इ०का० बड़कोट, जाखणीधार, टिहरी	रा०इ०का० देवताधार ओण, प्रतापनगर, टिहरी
28	श्रीमती रशिम रावत	गणित	रा०इ०का० मटियाली, दुगड़ा, पौड़ी	रा०इ०का० काण्डाखाल कौड़िया , जयहरीखाल, पौड़ी
29	स्नेहलता सकलानी	कला	रा०उ०मा०वि० बड़कोट, डोईवाला, देहरादून	रा०उ०मा०वि० घोड़पाला, बीरोंखाल , पौड़ी
30	श्री गीताराम भवित	गणित	रा०इ०का० नेताला, भटवाड़ी, उत्तरकाशी	रा०उ०मा०वि० सूरी, चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी
31	श्री राजेश लाल नथवान	सामाजिक विज्ञान	रा०इ०का० कोठगी, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	रा०इ०का० लदोली, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग

32	प्रदीप कुमार शुक्ला	सामाजिक विज्ञान	रा०इ०का० देवप्रयाग, कोट, पौड़ी	रा०उ०मा०वि० भुटगाँव, जौनपुर, टिहरी
33	श्रीमती आरती गौड़	गणित	रा०उ०मा०वि० ओबरी, चम्बा, टिहरी	रा०इ०का० अमोला, द्वारीखाल, पौड़ी
34	वीना रानी	सामाजिक विज्ञान	रा०इ०का० हरियावाला, सहसपुर, देहरादून	रा०उ०मा०वि० अष्टाड़, कालसी, देहरादून
35	श्रीमती स्मिता	कला	रा०इ०का० बौराड़ी, चम्बा, टिहरी	रा०उ०मा०वि० कण्डई, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी
36	अमृ खंपा	कला	रा०इ०का० जाखणीधार, टिहरी	रा०इ०का० कोटधार गमरी, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी
37	श्री कैलाश चन्द्र चन्द्रवाल	सामाजिक विज्ञान	रा०इ०का० बैरागना, दशोली, चमोली	रा०इ०का० देवखाल, दशोली, चमोली
38	कविता मनोरी	कला	रा०उ०मा०वि० ढकरानी, विकासनगर, देहरादून	रा०इ०का० खोला कड़ाकोट, कीर्तिनगर, टिहरी
39	सरिता देवी	कला	रा०इ०का० हिंडोलाखाल, देवप्रयाग, टिहरी	रा०इ०का० ललूडीखाल, देवप्रयाग, टिहरी
40	उजाली सिंह	व्यायाम	रा०इ०का० बछेलीखाल, देवप्रयाग, टिहरी	रा०उ०मा०वि० कफनौल, नौगाँव, उत्तरकाशी

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि के पश्चात एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (2) सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करेंगे।
- (3) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (4) स्थानान्तरित किये गये शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (5) कार्यमुक्त होने वाले शिक्षक/शिक्षिकायें नियमानुसार अनुमन्य 'कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time)' का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा कार्यमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- (6) स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के पश्चात तीन दिनों के अन्तर्गत निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा। प्रत्यावेदन निदेशालय की ई.मेल.आई.डी. edusewa12@gmail.com पर भी निर्धारित अवधि में दिया जा सकेगा।
- (7) उक्त स्थानान्तरण ई-पोर्टल में दी गयी सूचनाओं के आधार पर किये गये हैं यदि किसी अध्यापक/अध्यापिका के सम्बन्ध में कोई सूचना भिन्न होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित विद्यालय के संस्थाध्यक्ष की होगी।

उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाय।


डॉ. (एस.एस. जोशी)



अपर शिक्षा निदेशक, (मा.शि.)
महानिदेशक, विद्यालय पौड़ी।

पृ०सं०/सेवा.अराज./ ५५३१—५५ / ३क(२)/अनि.स्था./ २०२४-२५/दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
4. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून।
5. अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. देहरादून।
6. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस आशय से की उक्त सूची में अंकित सहायक अध्यापक एल0टी0 को अनिवार्य रूप से कार्यभार मुक्त/ कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धितों को अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें व कार्यभार ग्रहण व कार्यभार मुक्ति की संकलित सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करायें।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)।
8. सम्बन्धित प्राचार्य, डायट
9. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
10. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
11. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) से प्राप्त कर लें व अपने विकासखण्ड से स्थानान्तरित शिक्षक के प्रधानाचार्य को आदेश उपलब्ध करवाते हुये कार्यमुक्त/ कार्यभार ग्रहण करवाने हेतु अपने स्तर से भी अवगत करायें। स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें व विकासखण्ड स्तर से स्थानान्तरित शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण/ कार्यभार मुक्त की सूचना संकलित कर सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें।
12. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आपकी संस्था से स्थानान्तरित शिक्षक को बिना प्रतिस्थानी के तत्काल कार्यमुक्त/ कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे। कार्यमुक्त/ कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें।
13. प्रभारी, एम.आई.एस., महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालयी शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।
14. सम्बन्धित शिक्षक/ शिक्षिकाओं को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैनाती विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
15. कार्यालय प्रति।


 अपर शिक्षा निदेशक, (मा.शि.)

 गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालयः- अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी

E-mail- adgarhwalmandalpauri@gmail.com

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ ५२६ /३क(२)/वा.स्था./ २०२४-२५/दिनांक ३० जुलाई २०२४

स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार अनिवार्य स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम हेतु तैयार की गयी पात्रता सूची में शासनादेश संख्या 198739 /XXX(2)/E-33080 दिनांक 14.03.2024, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड के कार्यवृत्त /विविध/2116-22/स्थानबैठक/2024-25 दिनांक 02 मई 2024, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक /सेवा-2/3(क)/2(1)/वा०स्थाना० /3456-69/2024-25 दिनांक 15 मई 2024, शासनादेश संख्या- 221278 /XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 28 जून 2024, शासनादेश संख्या: 1016 / XXIV-B-1/24/07(04)2016 दिनांक 04 जुलाई 2024 एवं शासनादेश संख्या 223526 /XXX(2)/2024/E33080 दिनांक 08 जुलाई 2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण श्रेणी 17(1)(ख)(एक)-गम्भीर रोगग्रस्त/विकलांग शिक्षक/शिक्षिकाओं द्वारा स्वयं अथवा पति/पत्नी यथालागू की गम्भीर रोगग्रस्तता/विकलांगता श्रेणी में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत स030एल0टी० स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं के द्वारा उनके नाम के समुख स्तम्भ- 4 के विद्यालय/संस्था से स्तम्भ- 5 में उनके द्वारा कांउसिलिंग के माध्यम से चयनित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है-

सहायक अध्यापक एल0टी० (सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय	स्थानान्तरित विद्यालय
1	2	3	4	5
1	श्री सुनील कुमार	अंग्रेजी	रा०उ०मा०वि० लोहारी, चकराता, देहरादून	रा०उ०मा०वि० ढूंगा, सहसपुर, देहरादून
2	श्री राकेश चन्द्र मठपाल	सामाजिक विज्ञान	रा०इ०का० पजिटीलानी, कालसी, देहरादून	रा०इ०का० नालापानी, रायपुर , देहरादून
3	सुधा भट्ट	अंग्रेजी	रा०उ०मा०वि० अणु, चकराता, देहरादून	रा०उ०मा०वि० कुन्जाग्राण्ट, विकासनगर, देहरादून
4	श्री मनीष वशिष्ठ	सामाजिक विज्ञान	अ०उ०रा०इ०का० सारी, जयहरीखाल, पौड़ी	रा०इ०का० दुगड़ा, पौड़ी
5	श्री राजेन्द्र सिंह	सामाजिक विज्ञान	रा०इ०का० क्वानू, चकराता, देहरादून	रा०इ०का० माजरीमाफी, डोईवाला, देहरादून
6	श्री प्रदीप कुमार	गणित	रा०उ०मा०वि० परोगी, जौनपुर, टिहरी	रा०उ०मा०वि० शेरगढ़, डोईवाला, देहरादून
7	श्रीमती सुमित्रा शर्मा	हिन्दी	रा०उ०मा०वि० जाडी, चकराता, देहरादून	रा०उ०मा०वि० रुद्रपुर, विकासनगर, देहरादून
8	श्रीमती हेमलता हटवाल	सामाजिक विज्ञान	रा०इ०का० रौतू की बेली, जौनपुर, टिहरी	रा०इ०का० भेदनीपुर बद्धीपुर, विकासनगर, देहरादून
9	श्री मनोज ममगांड	गणित	रा०इ०का० खोला कड़ाकोट, कीर्तिनगर, टिहरी	रा०इ०का० छरबा, सहसपुर, देहरादून
10	सीमा आर्य	हिन्दी	अ०उ०रा०इ०का० पुजारगांव, जौनपुर, टिहरी	रा०उ०मा०वि० हरजौली जट्ट, नारसन, हरिद्वार

11	श्री लक्ष्मी प्रसाद उनियाल	हिन्दी	रा०इ०का० गैर नगुण, थौलधार, टिहरी	रा०इ०का० तपोवन, नरेन्द्रनगर, टिहरी
12	कमलेश शाही	सामाजिक विज्ञान	रा०उ०मा०वि० बैराईगांव, नरेन्द्रनगर, टिहरी	रा०इ०का० आई०डी०पी०एल० वीरभद्र ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून
13	कु० ममता वशिष्ठ	विज्ञान	रा०इ०का० ग्वासापुल, चकराता, देहरादून	रा०इ०का० खुडबुडा, रायपुर, देहरादून
14	श्री प्रवेश कटारिया	हिन्दी	रा०उ०मा०वि० चिवॉ, मोरी, उत्तरकाशी	रा०इ०का० भेल, बहादराबाद, हरिद्वार
15	श्री भगवती प्रसाद पुरोहित	गणित	रा०उ०मा०वि० ठकरासाधार, कालसी, देहरादून	रा०इ०का० खदरी खड़कमाफ, डोईवाला, देहरादून
16	श्री जितेन्द्र सिंह	सामाजिक विज्ञान	रा०इ०का० चमकोट, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	रा०इ०का० कटापत्थर, विकासनगर, देहरादून
17	श्रीमती पुष्पा रौतेला खनी	विज्ञान	रा०उ०मा०वि० नौघर, जौनपुर, टिहरी	रा०इ०का० किशनपुर, रायपुर, देहरादून
18	श्रीमती विजया किमोठी	हिन्दी	रा०इ०का० खोला कडाकोट, कीर्तिनगर, टिहरी	रा०उ०मा०वि० डुडवा, कीर्तिनगर, टिहरी
19	श्री राकेश चन्द्र देवली	गणित	रा०इ०का० नरेन्द्रनगर, नरेन्द्रनगर, टिहरी	रा०इ०का० लक्ष्मणझूला, यमकेश्वर, पौडी
20	श्री विपिन प्रकाश बहुगुणा	अंग्रेजी	रा०उ०मा०वि० सरठेडी, भगवानपुर, हरिद्वार	रा०उ०मा०वि० बन्जारे वाला, भगवानपुर, हरिद्वार
21	श्री योगेश कुमार	विज्ञान	अ०उ०रा०इ०का० जसपुर, थलीसैण, पौड़ी	रा०इ०का० कमान्दा, नैनीडांडा, पौडी
22	श्री राजीव कुमार	गणित	रा०उ०मा०वि० माला, यमकेश्वर, पौड़ी	रा०उ०मा०वि० रानीमाजरा, बहादराबाद, हरिद्वार
23	श्री तिजेन्द्र सिंह	व्यायाम	रा०इ०का० न्यूलीअकरी, कीर्तिनगर, टिहरी	रा०इ०का० काण्डीखाल, थौलधार, टिहरी
24	श्री रजनीश सिंह	हिन्दी	रा०उ०मा०वि० मोटणा, प्रतापनगर, टिहरी	रा०उ०मा०वि० तांशीपुर, रुडकी, हरिद्वार
25	श्री भवनेश कुमार पाल	हिन्दी	रा०उ०मा०वि० कोटिभरपूर, देवप्रयाग, टिहरी	रा०उ०मा०वि० बन्जारेवाला, भगवानपुर, हरिद्वार
26	श्री अजीत कुमार	व्यायाम	रा०इ०का० देवखाल, दशोली, चमोली	रा०इ०का० नैनबाग, जौनपुर, टिहरी
27	पूनम यादव	अंग्रेजी	रा०इ०का० नकुर्ची, जौनपुर, टिहरी	रा०उ०मा०वि० अकबरपुर झोझा, रुडकी, हरिद्वार
28	श्रीमती पुष्पलता	विज्ञान	रा०इ०का० नकुर्ची, जौनपुर, टिहरी	रा०इ०का० हरबटपुर, विकासनगर, देहरादून
29	श्रीमती मीनाक्षी शाह	हिन्दी	अ०उ०रा०इ०का० बरोटीवाला, विकासनगर, देहरादून	रा०इ०का० द्वारा, रायपुर, देहरादून
30	श्री यशवन्त सिंह	हिन्दी	रा०उ०मा०वि० उडरी, डुण्डा, उत्तरकाशी	रा०उ०मा०वि० कन्ताडी, पुरोला, उत्तरकाशी
31	श्री अमरनाथ	हिन्दी	रा०इ०का० गरखेत, जौनपुर, टिहरी	रा०उ०मा०वि० कुमाल्डा, जौनपुर, टिहरी

32	श्रीमती गुडमाला	विज्ञान	रा०इ०का० सावडा, चकराता, देहरादून	रा०इ०का० डामटा, नौगाँव, उत्तरकाशी
33	श्री अवनीश	अंग्रेजी	रा०इ०का० आलकोट, थराली, चमोली	रा०इ०का० कोटड़ीढांग, दुगड़ा, पौडी
34	श्रीमती पूनम नेगी	सामाजिक विज्ञान	रा०उ०मा०वि० मंजकोट, थौलधार, टिहरी	रा०उ०मा०वि० भारापुर भौंरी, रुड़की, हरिद्वार
35	श्री मोहन सिंह	गणित	रा०उ०मा०वि० रौंता, पोखरी, चमोली	रा०उ०मा०वि० चौरखाल, पाबौ, पौडी
36	श्री सोहन सिंह नेगी	गणित	रा०उ०मा०वि० निवालगांव, भिलंगना, टिहरी	रा०उ०मा०वि० चौल्ली शहाबुद्दीनपुर, भगवानपुर , हरिद्वार
37	पूजा नेगी	विज्ञान	रा०इ०का० श्रीकालखाल, डुण्डा, उत्तरकाशी	रा०इ०का० श्यामपुर, बहादराबाद, हरिद्वार
38	श्री मनीष कुमार गागट	विज्ञान	रा०उ०मा०वि० बरौंथा, चकराता, देहरादून	रा०इ०का० नागथात, कालसी, देहरादून
39	श्रीमती भारती बिष्ट	कला	रा०इ०का० खालसी, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी	रा०उ०मा०वि० तुल्याडा, चिंसौड़, उत्तरकाशी
40	श्रीमती आंचल कुमारी	कला	रा०इ०का० मठियाली, नरेन्द्रनगर, टिहरी	रा०उ०मा०वि० बेलडी, रुड़की, हरिद्वार
41	श्री ललित सिंह	विज्ञान	रा०इ०का० सिलपाटा, गैरसैण, चमोली	रा०इ०का० गैण्डीखाता , बहादराबाद, हरिद्वार
42	श्री अरविन्द कुमार	अंग्रेजी	रा०उ०मा०वि० ऐठी, थलीसैण, पौडी	रा०इ०का० बीरोंखाल, पौडी
43	श्री संजीव मिश्र	गणित	रा०इ०का० कपरोली, थलीसैण, पौडी	रा०इ०का० गैण्डीखाता , बहादराबाद, हरिद्वार
44	श्रीमती नेहा	गणित	रा०इ०का० कट्टखेत (नगुण), थौलधार, टिहरी	रा०उ०मा०वि० किला मंगलौर, नारसन, हरिद्वार
45	श्री मनोज कुमार दौरियाल	कला	रा०इ०का० डुण्डा, उत्तरकाशी	रा०इ०का० डामटा, नौगाँव, उत्तरकाशी


वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि के पश्चात एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (2) सम्बन्धित संस्थायक स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करेंगे।
- (3) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (4) स्थानान्तरित किये गये शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (5) कार्यमुक्त होने वाले शिक्षक/शिक्षिकायें नियमानुसार अनुमन्य 'कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा कार्यमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- (6) स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के पश्चात तीन दिनों के अन्तर्गत निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा। प्रत्यावेदन निदेशालय की ई.मेल.आई.डी. edusewa12@gmail.com पर भी निर्धारित अवधि में दिया जा सकेगा।
- (7) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित शिक्षकों को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।



- (8) उक्त स्थानान्तरण ई-पोर्टल में दी गयी सूचनाओं के आधार पर किये गये हैं यदि किसी अध्यापक/अध्यापिका के सम्बन्ध में कोई सूचना भिन्न होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित विद्यालय के संस्थाध्यक्ष की होगी।
- (9) उक्त स्थानान्तरण मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या—164/2013 दौलत राम सेमवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18 जून 2018 के प्रस्तर—22 के अधीन रहेंगी, जिसमें उल्लिखित है कि “कोई स्थानान्तरण/पदस्थापना मैदानी जनपदों देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में तब तक नहीं होगी जब तक 70 प्रतिशत शिक्षकों की संख्या पर्वतीय जनपदों में न भरी जाय”। अतः समस्त संस्थाध्यक्ष/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या/प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका मा० उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुसार शिक्षकों को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाय।


डॉ. (एस.बी. जोशी)
अपर शिक्षा निदेशक, (मा.शि.)


 गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृष्ठांकन संख्या / सेवा.अराज. / ५६१५-२४ / ३क(२) / वा.स्था. / २०२४-२५ / दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
4. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून।
5. अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. देहरादून।
6. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस आशय से की उक्त सूची में अंकित सहायक अध्यापक एल०टी० को अनिवार्य रूप से कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धितों को अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें व कार्यभार ग्रहण व कार्यभार मुक्ति की संकलित सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करायें।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)।
8. सम्बन्धित प्राचार्य, डायट
9. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
10. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
11. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) से प्राप्त कर लें व अपने विकासखण्ड से स्थानान्तरित शिक्षक के प्रधानाचार्य को आदेश उपलब्ध करवाते हुये कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करवाने हेतु अपने स्तर से भी अवगत करायें। स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें व विकासखण्ड स्तर से स्थानान्तरित शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण/कार्यभार मुक्त की सूचना संकलित कर सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें।
12. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आपकी संस्था से स्थानान्तरित शिक्षक को बिना प्रतिस्थानी के तत्काल कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें।
13. प्रभारी, एम.आई.एस., महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालयी शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
14. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैनाती विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
15. कार्यालय प्रति।


अपर शिक्षा निदेशक, (मा.शि.)

 गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालयः- अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी

E-mail- adgarhwalmandalpauri@gmail.com

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ ४२७ /३क(२)/ वा.स्था./ २०२४-२५/ दिनांक ३० जुलाई २०२४

स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार अनिवार्य स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम हेतु तैयार की गयी पात्रता सूची में शासनादेश संख्या 198739 /XXX(2)/E-33080 दिनांक 14.03.2024, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड के कार्यवृत्त /विविध/2116-22/स्थानान्तरण/2024-25 दिनांक 02 मई 2024, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सेवा-2/3(क)/2(1)/वा.स्था. 3456-69/2024-25 दिनांक 15 मई 2024, शासनादेश संख्या- 221278 /XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 28 जून 2024, शासनादेश संख्या: 1016 / XXIV-B-1/24/07(04)2016 दिनांक 04 जुलाई 2024 एवं शासनादेश संख्या 223526 /XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 08 जुलाई 2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण श्रेणी 17(1)(ख)(दो) मानसिक रूप से विक्षिप्त एवं लाचार बच्चों के माता-पिता श्रेणी में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत स0अ0एल0टी0 स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं के द्वारा उनके नाम के सम्बुद्ध स्तम्भ- 4 के विद्यालय/संस्था से स्तम्भ- 5 में उनके द्वारा कांउसिलिंग के माध्यम से चयनित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है-

सहायक अध्यापक एल0टी0 (सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय	स्थानान्तरित विद्यालय
1	2	3	4	5
1	श्री मनवीर	गणित	अ0उ0रा0इ0का0 कलोगी, नौगांव, उत्तरकाशी	रा0उ0मा0वि0 सिंगटाली, नरेन्द्रनगर, टिहरी
2	श्री जीतेन्द्र प्रसाद	अंग्रेजी	रा0उ0मा0वि0 दांथा, पोखड़ा, पौड़ी	रा0इ0का0 कोटद्वार, दुगड़ा, पौड़ी
3	पूनम बिष्ट	हिन्दी	रा0इ0का0 कोटी चॉदपुर, कर्णप्रयाग, चमोली	रा0इ0का0 गैरसैण, चमोली
4	श्री हर्षवर्धन	अंग्रेजी	रा0उ0मा0वि0 कोठियाडा, भिलंगना, टिहरी	रा0इ0का0 बिनकखाल, भिलंगना, टिहरी
5	श्रीमती गीता राणा	गणित	रा0उ0मा0वि0 भैंगा, प्रतापनगर, टिहरी	रा0इ0का0 निजामपुर, नारसन, हरिद्वार
6	श्री मुकेश	गणित	रा0उ0मा0वि0 कुरछोला, जखोली, रुद्रप्रयाग	रा0उ0मा0वि0 मटियावा, कालसी, देहरादून
7	श्री सुनील कुमार	हिन्दी	रा0इ0का0 बिडोली, पाबौ, पौड़ी	रा0इ0का0 मोल्टाडी, पुरोला, उत्तरकाशी

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि के पश्चात एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (2) सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करेंगे।
- (3) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (4) स्थानान्तरित किये गये शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (5) कार्यमुक्त होने वाले शिक्षक/शिक्षिकायें नियमानुसार अनुमन्य 'कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा कार्यमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- (6) स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के पश्चात तीन दिनों के अन्तर्गत निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

देहरादून को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा। प्रत्यावेदन निदेशालय की ई.मेल.आई.डी. edusewa12@gmail.com पर भी निर्धारित अवधि में दिया जा सकेगा।

- (7) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित शिक्षकों को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
(8) उक्त स्थानान्तरण ई-पोर्टल में दी गयी सूचनाओं के आधार पर किये गये हैं यदि किसी अध्यापक/अध्यापिका के सम्बन्ध में कोई सूचना भिन्न होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित विद्यालय के संस्थाध्यक्ष की होगी।
(9) उक्त स्थानान्तरण मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या-164/2013 दौलत राम सेमवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18 जून 2018 के प्रस्तर-22 के अधीन रहेंगी, जिसमें उल्लिखित है कि "कोई स्थानान्तरण/पदस्थापना मैदानी जनपदों देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में तब तक नहीं होगी जब तक 70 प्रतिशत शिक्षकों की संख्या पर्वतीय जनपदों में न भरी जाय"। अतः समस्त संस्थाध्यक्ष/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या/प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका मा० उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुसार शिक्षकों को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाय।

डॉ.(एस.बी. जोशी)

अपर शिक्षा निदेशक, (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृष्ठांकन संख्या/सेवा.अराज./ ५६२९-५२ /३क(२)/वा.स्था./ २०२४-२५/दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
4. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून।
5. अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. देहरादून।
6. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस आशय से की उक्त सूची में अंकित सहायक अध्यापक एल०टी० को अनिवार्य रूप से कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धितों को अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें व कार्यभार ग्रहण व कार्यभार मुक्ति की संकलित सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करायें।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)।
8. सम्बन्धित प्राचार्य, डायट
9. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
10. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
11. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) से प्राप्त कर लें व अपने विकासखण्ड से स्थानान्तरित शिक्षक के प्रधानाचार्य को आदेश उपलब्ध करवाते हुये कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करवाने हेतु अपने स्तर से भी अवगत करायें। स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें व विकासखण्ड स्तर से स्थानान्तरित शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण/कार्यभार मुक्त की सूचना संकलित कर सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें।
12. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आपकी संस्था से स्थानान्तरित शिक्षक को बिना प्रतिस्थानी के तत्काल कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें।
13. प्रभारी, एम.आई.एस., महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालयी शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
14. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैनाती विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
15. कार्यालय प्रति।

अपर शिक्षा निदेशक, (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय:- अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी

E-mail- adgarhwalmandalpauri@gmail.com

आदेश संख्या / सेवा.अराज./ ५२४ / ३क(२) / वा.स्था. / २०२४-२५ / दिनांक ३० जुलाई २०२४

स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार अनिवार्य स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम हेतु तैयार की गयी पात्रता सूची में शासनादेश संख्या 198739 / XXX(2)/E-33080 दिनांक 14.03.2024, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड के कार्यवृत्त / विविध /2116-22 /स्थानबैठक /2024-25 दिनांक 02 मई 2024, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक /सेवा-2 /3(क) /2(1) /वारस्थाना0 /3456-69 /2024-25 दिनांक 15 मई 2024, शासनादेश संख्या- 221278 /XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 28 जून 2024, शासनादेश संख्या: 1016 / XXIV-B-1/24/07(04)2016 दिनांक 04 जुलाई 2024 एवं शासनादेश संख्या 223526 / XXX(2)/2024/E33080 दिनांक 08 जुलाई 2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण श्रेणी धारा 17(1)(ख)(चार) उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी श्रेणी में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत स0अ0एल0टी0 स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं के द्वारा उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ- 4 के विद्यालय/संस्था से स्तम्भ- 5 में उनके द्वारा कांउसिलिंग के माध्यम से चयनित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है-

सहायक अध्यापक एल0टी0 (सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अध्यापक / अध्यापिका का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय	स्थानान्तरित विद्यालय
1	2	3	4	5
1	श्रीमती पूनम कुंवर	विज्ञान	रा०इ०का० ग्वालदम, थराली, चमोली	रा०इ०का० लंगासू, कर्णप्रयाग, चमोली
2	श्रीमती बबीता रावत	हिन्दी	अ०उ०रा०इ०का० कलोगी , नौगांव, उत्तरकाशी	रा०इ०का० नौगांव, नौगांव, उत्तरकाशी
3	श्री जयदेव बडोनी	सामाजिक विज्ञान	रा०इ०का० पालीलंगूर, द्वारीखाल, पौडी	रा०इ०का० सेन्धीखाल, जयहरीखाल, पौडी
4	श्री महेशमोहन कुकरेती	व्यायाम	रा०इ०का० मठाली, जयहरीखाल, पौडी	रा०इ०का० धोबीघाट, दुगड़ा, पौडी
5	श्री प्रभाकर सिंह रावत	व्यायाम	अटल उत्कृष्ट रा०इ०का० चेलूसैण, द्वारीखाल, पौडी	रा०इ०का० जयहरीखाल, लैन्सडौन, जयहरीखाल, पौडी
6	श्री शैलेन्द्र सिंह राणा	विज्ञान	अ०उ०रा०इ०का० रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	रा०इ०का० कमसाल, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग
7	श्री पान सिंह नेगी	सामाजिक विज्ञान	रा०इ०का० निजमूला, दशोली, चमोली	रा०इ०का० सावरीसैण, दशोली, चमोली
8	श्री लक्ष्मीकांत बड्थवाल	गणित	डायट पौडी, खिर्सू, पौडी	रा०उ०मा०वि० उरेगी, पौडी, पौडी
9	श्री ओम प्रकाश जोशी	सामाजिक विज्ञान	रा०उ०मा०वि० भौंसाल, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	रा०इ०का० देहलचौरी, कोट, पौडी
10	श्री रिपुदमन सिह नेगी	अंग्रेजी	रा०इ०का० भल्लेगाँव, देवप्रयाग, ठिहरी	रा०उ०मा०वि० डडुवा, कीर्तिनगर , ठिहरी
11	श्री हरदेव सिंह विष्ट	विज्ञान	रा०उ०मा०वि० टाटवाला हरिद्वार, बहादराबाद, हरिद्वार	रा०उ०मा०वि० भगतनपुर , बहादराबाद, हरिद्वार
12	श्री दिनेश चन्द्र जुयाल	विज्ञान	रा०इ०का० ज्ञानसू , चम्बा, ठिहरी	रा०इ०का० दुंगीधार, चम्बा, ठिहरी

13	गंगोत्री देवी	हिन्दी	रा०उ०मा०वि० स्यालूंगा, दुगड़ा, पौड़ी	रा०इ०का० मटियाली, दुगड़ा, पौड़ी
14	श्री मंगल सिंह रावत	सामाजिक विज्ञान	रा०उ०मा०वि० पुडियाणी, कर्णप्रयाग, चमोली	रा०इ०का० गौणा, दशोली, चमोली
15	श्री सुधीर चन्द्र बधाणी	गणित	रा०इ०का० बौन पंजियाला, दुण्डा, उत्तरकाशी	रा०उ०मा०वि० अठाली, भटवाड़ी, उत्तरकाशी
16	श्री योगेन्द्र लाल	सामाजिक विज्ञान	रा०इ०क००दोन्दल, कोट, पौड़ी	रा०इ०का० नैनबाग, जौनपुर, टिहरी
17	श्रीमती कुमुद मलासी	अंग्रेजी	रा०इ०का० पैठाणी, थलीसैण, पौड़ी	रा०उ०मा०वि० पलोटा, कोट, पौड़ी
18	श्रीमती सविता प्रभाकर	अंग्रेजी	अ०उ०रा०इ०का० सिद्धखाल, रिखणीखाल, पौड़ी	रा०उ०मा०वि० काण्डा, रिखणीखाल, पौड़ी
19	रोशनी थपलियाल	हिन्दी	रा०उ०मा०वि० कुजासू पोखरी, चमोली	रा०उ०मा०वि० क्यारा जमोला, नरेन्द्रनगर, टिहरी
20	श्रीमती गीतांजली	हिन्दी	रा०उ०मा०वि० बुराँसी, , द्वारीखाल, पौड़ी	रा०इ०का० धोबीघाट, दुगड़ा, पौड़ी
21	श्रीमती अर्चना तोमर	हिन्दी	अ०उ०रा०इ०का० गैण्डखाल, यमकेश्वर, पौड़ी	रा०उ०मा०वि० क्यारी, कालसी, देहरादून
22	दीप शिखा त्यागी	विज्ञान	रा०उ०मा०वि० गवेला, चकराता, देहरादून	रा०उ०मा०वि० समाल्टा, कालसी, देहरादून
23	मनीषा धिल्डियाल	सामाजिक विज्ञान	रा०इ०का० कपरोली, थलीसैण, पौड़ी	लीलावती रा०इ०का० निसनी, पौड़ी, पौड़ी
24	श्रीमती गीता देवी	कला	रा०इ०का० कालेश्वर, पौड़ी, पौड़ी	रा०इ०का० जखण्ड, कीर्तिनगर , टिहरी
25	श्रीमती सीमा पुण्डीर	व्यायाम	अ०उ०रा०इ०का० नन्दानगर, चमोली	रा०इ०का० सावरीसैण, दशोली, चमोली
26	सुनीता रावत	व्यायाम	रा०इ०का० हरगढ़, गैरसैण, चमोली	रा०उ०मा०वि० कण्डेरी, पाबौ, पौड़ी
27	श्री गुरु प्रसाद	हिन्दी	रा०उ०मा०वि० पटारा, दुण्डा, उत्तरकाशी	रा०उ०मा०वि० इड धनारी , दुण्डा, उत्तरकाशी
28	सीमा बुटोला	व्यायाम	रा०इ०का० धिमतोली, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	रा०इ०का० मालतोली, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग
29	श्रीमती अल्का	हिन्दी	रा०इ०का० रणसोलाधार, देवप्रयाग , टिहरी	रा०इ०का० बछेलीखाल, देवप्रयाग, टिहरी
30	श्री अनिल कुमार नौटियाल	विज्ञान	अटल उत्कृष्ट रा०इ०का० जामलाखाल, कोट, पौड़ी	रा०इ०का० रौतू की बेली, जौनपुर, टिहरी
31	श्रीमती संगीता थपलियाल	हिन्दी	अ०उ०रा०इ०का० बसन्तपुर, कोट, पौड़ी	रा०इ०का० बड़खोलू कल्जीखाल, पौड़ी
32	अंजना रानी	विज्ञान	रा०उ०मा०वि० गडरी, पोखडा, पौड़ी	रा०उ०मा०वि० डेलना, रुडकी, हरिद्वार
33	श्री आनन्द सिंह तोमर	अंग्रेजी	अ०उ०रा०इ०का० नैटवाड़, मोरी, उत्तरकाशी	रा०उ०मा०वि० भंकोली, नौगांव, उत्तरकाशी
34	श्री संजीव मोहन	विज्ञान	रा०उ०मा०वि० बेड़गाँव, कल्जीखाल, पौड़ी	रा०इ०का० जाखी डागर, कीर्तिनगर , टिहरी
35	श्री धर्मेन्द्र सिंह नेगी	विज्ञान	अटल उत्कृष्ट रा०इ०का० चेलूसैण, द्वारीखाल, पौड़ी	रा०इ०का० धोबीघाट, दुगड़ा, पौड़ी
36	श्री हरि लाल	संस्कृत	रा०उ०मा०वि० खैनोली, नारायणबगड़, चमोली	रा०इ०का० लंगासू कर्णप्रयाग, चमोली

37	श्री सतीश सिंह	गणित	रा०इ०का० रतूड़ा, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	रा०उ०मा०वि० तूना, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग
38	श्री केतन चमोली	विज्ञान	रा०उ०मा०वि० हयोटगरी, कालसी, देहरादून	रा०इ०का० पजिटीलानी, कालसी, देहरादून
39	श्री योगेन्द्र सिंह कुंवर	विज्ञान	अ०उ०रा०इ०का० गोपेश्वर, दशोली, चमोली	रा०उ०मा०वि० मोहितपुर , भगवानपुर , हरिद्वार
40	श्री धनेन्द्र सिंह रावत	सामाजिक विज्ञान	रा०इ०का० टीला, थलीसैण, पौड़ी	रा०इ०का० म्याणी, जौनपुर, ठिहरी
41	श्रीमती अजीता भण्डारी	गणित	रा०इ०का०सौरा, भटवाड़ी, उत्तरकाशी	रा०आ०की०इ०का० उत्तरकाशी, भटवाड़ी, उत्तरकाशी
42	श्री देवेन्द्र कुमार	व्यायाम	अ०उ०रा०इ०का० कोटुली, नारायणबगड़, चमोली	रा०उ०मा०वि० कण्डवालगाँव, नारायणबगड़, चमोली
43	श्रीमती अनुसूया राणा	सामाजिक विज्ञान	रा०इ०का० कैलाश बांगर, जखोली, रुद्रप्रयाग	रा०इ०का० गोर्टी, जखोली, रुद्रप्रयाग
44	यामिनी नागर	विज्ञान	रा०उ०मा०वि० टिमरा, कालसी, देहरादून	रा०उ०मा०वि०सालियर, रुडकी, हरिद्वार

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि के पश्चात एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण करेंगे।
 - (2) सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक / शिक्षिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करेंगे।
 - (3) स्थानान्तरित शिक्षक / शिक्षिका को उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
 - (4) स्थानान्तरित किये गये शिक्षक / शिक्षिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
 - (5) कार्यमुक्त होने वाले शिक्षक / शिक्षिकायें नियमानुसार अनुमन्य 'कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा कार्यमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
 - (6) स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित / टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के पश्चात तीन दिनों के अन्तर्गत निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा। प्रत्यावेदन निदेशालय की ई.मेल.आई.डी. edusewa12@gmail.com पर भी निर्धारित अवधि में दिया जा सकेगा।
 - (7) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित शिक्षकों को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
 - (8) उक्त स्थानान्तरण ई-पोर्टल में दी गयी सूचनाओं के आधार पर किये गये हैं यदि किसी अध्यापक / अध्यापिका के सम्बन्ध में कोई सूचना भिन्न होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित विद्यालय के संस्थाध्यक्ष की होगी।
 - (9) उक्त स्थानान्तरण मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या-164/2013 दौलत राम सेमवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18 जून 2018 के प्रस्तर-22 के अधीन रहेंगी, जिसमें उल्लिखित है कि "कोई स्थानान्तरण / पदस्थापना मैदानी जनपदों देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में तब तक नहीं होगी जब तक 70 प्रतिशत शिक्षकों की संख्या पर्वतीय जनपदों में न भरी जाय"। अतः समस्त संस्थाध्यक्ष / प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या / प्रधानाध्यापक / प्रधानाध्यापिका मा० उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुसार शिक्षकों को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाय।

डॉ. (एस.बी. जोशी)

अपर शिक्षा निदेशक, (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृष्ठांकन संख्या / सेवा.अराज. / ५६४३ - ५६ / ३क(२) / वा.स्था. / २०२४-२५ / दिनांक उक्तांकित।
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
4. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून।
5. अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. देहरादून।
6. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस आशय से की उक्त सूची में अंकित सहायक अध्यापक एल0टी0 को अनिवार्य रूप से कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धितों को अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें व कार्यभार ग्रहण व कार्यभार मुक्ति की संकलित सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करायें।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)।
8. सम्बन्धित प्राचार्य, डायट
9. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
10. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
11. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) से प्राप्त कर लें व अपने विकासखण्ड से स्थानान्तरित शिक्षक के प्रधानाचार्य को आदेश उपलब्ध करवाते हुये कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करवाने हेतु अपने स्तर से भी अवगत करायें। स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें व विकासखण्ड स्तर से स्थानान्तरित शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण/कार्यभार मुक्त की सूचना संकलित कर सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें।
12. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आपकी संस्था से स्थानान्तरित शिक्षक को बिना प्रतिस्थानी के तत्काल कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदारी रहेंगे। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें।
13. प्रभारी, एम.आई.एस., महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालयी शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
14. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैनाती विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
15. कार्यालय प्रति।


अपर शिक्षा निदेशक, (मा.शि.)


मढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालयः- अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी

E-mail- adgarhwalmandalpauri@gmail.com

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ ५२१ /३क(२)/वा.स्था./ २०२४-२५/दिनांक ३० जुलाई २०२४

स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार अनिवार्य स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम हेतु तैयार की गयी पात्रता सूची में शासनादेश संख्या 198739 /XXX(2)/E-33080 दिनांक 14.03.2024, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड के कार्यवृत्त /विविध/2116-22/स्थानबैठक/2024-25 दिनांक 02 मई 2024, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक /सेवा-2/3(क)/2(1)/वा०स्थाना० /3456-69/2024-25 दिनांक 15 मई 2024, शासनादेश संख्या- 221278 /XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 28 जून 2024, शासनादेश संख्या: 1016 / XXIV-B-1/24/07(04)2016 दिनांक 04 जुलाई 2024 एवं शासनादेश संख्या 223526 /XXX(2)/2024/E33080 दिनांक 08 जुलाई 2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण श्रेणी 17(1)(ख)(पांच) विधवा, विधुर, सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्यक्ता एवं तलाकशुदा कार्मिक तथा वरिष्ठ कार्मिक श्रेणी में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत स०अ०ए०टी० स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं के द्वारा उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ- 4 के विद्यालय/संस्था से स्तम्भ- 5 में उनके द्वारा कांउसिलिंग के माध्यम से चयनित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है-

सहायक अध्यापक एल०टी० (सामान्य शाखा)


क्र. सं.	अध्यापक / अध्यापिका का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय	स्थानान्तरित विद्यालय
1	2	3	4	5
1	श्री महेन्द्र सिंह परमार	व्यायाम	रा०इ०का० घेस, देवाल, चमोली	रा०उ०मा०वि० रैणी, जोशीमठ, चमोली
2	श्री शिवप्रसाद	अंग्रेजी	रा०उ०मा०वि० पुडियाणी, कर्णप्रयाग, चमोली	रा०उ०मा०वि० कोटी भरपूर, देवप्रयाग, टिहरी
3	श्रीमती शशि नेगी	गणित	रा०उ०मा०वि० नाल्ड, भटवाड़ी, उत्तरकाशी	रा०इ०का० नैलखन्सर, गैरसैण, चमोली
4	श्रीमती शशि गुसाई	सामाजिक विज्ञान	रा०इ०का० बाड़ा, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	रा०इ०का० नगरासू, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग
5	श्री प्रदीप राणा	गणित	रा०इ०का० मयकोटी, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	रा०उ०मा०वि० गन्धारी, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग
6	श्रीमती शशि प्रभा डिमरी	हिन्दी	रा०उ०मा०वि० दुर्मी, दशोली, चमोली	रा०इ०का० थत्यूड, जौनपुर, टिहरी
7	आशा रावत	हिन्दी	रा०इ०का० सिलंगी, कर्णप्रयाग, चमोली	रा०इ०का० रतूड़ा, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग
8	श्री अमित प्रकाश	व्यायाम	अ०उ०रा०इ०का० तैला सिलगढ़, जखोली, रुद्रप्रयाग	रा०उ०मा०वि० बष्टी, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग
9	सुचिता कर्तृत	व्यायाम	अ०उ०रा०इ०का० मथकुडीसैण, भिलंगना , टिहरी	रा०इ०का० मगरौं, भिलंगना, टिहरी
10	श्रीमती सरोज फुलौरिया	हिन्दी	रा०इ०का० थल्दा, जयहरीखाल, पौड़ी	रा०उ०मा०वि० बूचाखाल, जयहरीखाल, पौड़ी
11	श्री राजेन्द्र सिंह नेगी	व्यायाम	रा०उ०मा०वि० पुडियाणी, कर्णप्रयाग, चमोली	रा०इ०का० गौचर, कर्णप्रयाग, चमोली

12	किरन भट्ट	विज्ञान	रा०उ०मा०वि० झिलोटी, पोखरी, चमोली	रा०इ०का० अलकापुरी, दशोली, चमोली
13	श्रीमती पदमा नेगी	व्यायाम	रा०इ०का० लदोली, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	रा०उ०मा०वि० मैखोली, गैरसैण, चमोली
14	श्री विजय प्रसाद डोभाल	गणित	रा०इ०का० रगड़ी, भिलंगना , ठिहरी	रा०इ०का० बडकोट, नौगाँव, उत्तरकाशी
15	श्रीमती सरिता रावत	हिन्दी	रा०इ०का० बगासूधार, चम्बा, ठिहरी	रा०उ०मा०वि० बादशाहीथोल, चम्बा, ठिहरी
16	श्रीमती मीना लखेड़ा	सामाजिक विज्ञान	रा०इ०का० बाणडा, थौलधार , ठिहरी	रा०इ०का० बछेलीखाल, देवप्रयाग, ठिहरी

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-


- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि के पश्चात एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (2) सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करेंगे।
- (3) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (4) स्थानान्तरित किये गये शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (5) कार्यमुक्त होने वाले शिक्षक/शिक्षिकायें नियमानुसार अनुमन्य 'कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा कार्यमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- (6) स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के पश्चात तीन दिनों के अन्तर्गत निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा। प्रत्यावेदन निदेशालय की ई.मेल.आई.डी. edusewa12@gmail.com पर भी निर्धारित अवधि में दिया जा सकेगा।
- (7) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित शिक्षकों को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- (8) उक्त स्थानान्तरण ई-पोर्टल में दी गयी सूचनाओं के आधार पर किये गये हैं यदि किसी अध्यापक/अध्यापिका के सम्बन्ध में कोई सूचना भिन्न होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित विद्यालय के संस्थाध्यक्ष की होगी।
- (9) उक्त स्थानान्तरण मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या-164/2013 दौलत राम सेमवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18 जून 2018 के प्रस्तर-22 के अधीन रहेंगी, जिसमें उल्लिखित है कि "कोई स्थानान्तरण/पदस्थापना मैदानी जनपदों देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में तब तक नहीं होगी जब तक 70 प्रतिशत शिक्षकों की संख्या पर्वतीय जनपदों में न भरी जाय"। अतः समस्त संस्थाध्यक्ष/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या/प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका मा० उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुसार शिक्षकों को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाय।



डॉ. (एस.बी. जोशी)

अपर शिक्षा निदेशक, (मा.शि.)



गोपल लाल पौड़ी।

पृष्ठांकन संख्या/सेवा.अराज./ ८६५७-७०

/३क(२)/वा.स्था./ २०२४-२५/दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
4. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून।
5. अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. देहरादून।

6. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस आशय से की उक्त सूची में अंकित सहायक अध्यापक एल0टी0 को अनिवार्य रूप से कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धितों को अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें व कार्यभार ग्रहण व कार्यभार मुक्ति की संकलित सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करायें।
 7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)।
 8. सम्बन्धित प्राचार्य, डायट
 9. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
 10. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
 11. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) से प्राप्त कर लें व अपने विकासखण्ड से स्थानान्तरित शिक्षक के प्रधानाचार्य को आदेश उपलब्ध करवाते हुये कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करवाने हेतु अपने स्तर से भी अवगत करायें। स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें व विकासखण्ड स्तर से स्थानान्तरित शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण/कार्यभार मुक्त की सूचना संकलित कर सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें।
 12. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आपकी संस्था से स्थानान्तरित शिक्षक को बिना प्रतिस्थानी के तत्काल कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें।
 13. प्रभारी, एम.आई.एस., महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालयी शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।
 14. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैनाती विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
 15. कार्यालय प्रति।

अपर शिक्षा सिदेशक, (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालयः- अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी

E-mail- adgarhwalmandalpauri@gmail.com

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ ५३१ / ३क(२)/ वा.स्था./ २०२४-२५/ दिनांक ३० जुलाई २०२४

स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधिकानुसार अनिवार्य स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम हेतु तैयार की गयी पात्रता सूची में शासनादेश संख्या 198739 /XXX(2)/E-33080 दिनांक 14.03.2024, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड के कार्यवृत्त /विविध/ 2116-22/ स्थानबैठक/ 2024-25 दिनांक 02 मई 2024, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक /सेवा-2/ ३(क)/ २(१)/ वा०स्थाना० / ३४५६-६९/ २०२४-२५ दिनांक 15 मई 2024, शासनादेश संख्या- 221278 /XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 28 जून 2024, शासनादेश संख्या: 1016 / XXIV-B-1/24/07(04)2016 दिनांक 04 जुलाई 2024 एवं शासनादेश संख्या 223526 /XXX(2)/2024/E33080 दिनांक 08 जुलाई 2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण श्रेणी धारा 17(1)(ख)(सात) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र श्रेणी में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत स०अ०एल०टी० स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं के द्वारा उनके नाम के समुख स्तम्भ- 4 के विद्यालय/संस्था से स्तम्भ- 5 में उनके द्वारा कांउसिलिंग के माध्यम से चयनित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है-

सहायक अध्यापक एल०टी० (सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय	स्थानान्तरित विद्यालय
1	2	3	4	5
1	श्री देवेन्द्र कुमार जोशी	अंग्रेजी	रा०इ०का० तिलकनगर, जखोली, रुद्रप्रयाग	रा०इ०का० भगवती, नारायणबगड़, चमोली
2	श्री राजेन्द्र पुरी	सामाजिक विज्ञान	रा०इ०का० नेताला, भटवाड़ी, उत्तरकाशी	रा०उ०मा०वि० उडरी, डुण्डा, उत्तरकाशी
3	श्री संदीप प्रकाश गैरोला	अंग्रेजी	रा०इ०का० नारायणकोटि , ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग	रा०उ०मा०वि० देवर, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग
4	श्रीमती आरती	हिन्दी	रा०उ०मा०वि० पाटीसेंण, एकेश्वर, पौड़ी	रा०उ०मा०वि० चौरखाल, पाबौ, पौड़ी
5	गयासुद्धीन सिद्धिकी	व्यायाम	रा०उ०मा०वि० भौंसाल, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	रा०इ०का० नागजगई, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग
6	श्री देवेन्द्र सिंह बर्त्ताल	विज्ञान	रा०इ०का० काण्डा भरदार, जखोली, रुद्रप्रयाग	रा०इ०का० हंसकोटी, नारायणबगड़, चमोली
7	श्री विनोद प्रकाश	हिन्दी	अ०उ०रा०इ०का० रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	रा०इ०का० बसुकेदार , अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग
8	श्री रघुवीर सिंह	हिन्दी	रा०इ०का० कंयूजा, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	रा०उ०मा०वि० पूलन बांगर, जखोली, रुद्रप्रयाग
9	श्री सुनील कुमार	वाणिज्य	अ०उ०रा०इ०का० चमियाला, भिलंगना, टिहरी	रा०इ०का० रणाकोट, नरेन्द्रनगर, टिहरी
10	श्रीमती रचना बहुगुणा	विज्ञान	रा०उ०मा०वि० केमधार बाड़ा, पौड़ी, पौड़ी	रा०इ०का० जगतेश्वर, पाबौ, पौड़ी

11	हिना अंसारी	सामान्य	अ0उ0रा0इ0का0 लम्बगांव, प्रतापनगर, टिहरी	रा0उ0मा0वि0 पडिण्डा , बीरोंखाल , पौडी
12	श्री रोशन लाल भारती	अंग्रेजी	रा0इ0का0 दैडा, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग	रा0उ0मा0वि0 तुलंगा, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि के पश्चात एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे।
 - (2) सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करेंगे।
 - (3) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
 - (4) स्थानान्तरित किये गये शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
 - (5) कार्यमुक्त होने वाले शिक्षक/शिक्षिकायें नियमानुसार अनुमन्य 'कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा कार्यमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
 - (6) स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के पश्चात तीन दिनों के अन्तर्गत निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा। प्रत्यावेदन निदेशालय की ई.मेल.आई.डी. edusewa12@gmail.com पर भी निर्धारित अवधि में दिया जा सकेगा।
 - (7) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित शिक्षकों को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
 - (8) उक्त स्थानान्तरण ई-पोर्टल में दी गयी सूचनाओं के आधार पर किये गये हैं यदि किसी अध्यापक/अध्यापिका के सम्बन्ध में कोई सूचना भिन्न होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित विद्यालय के संस्थाध्यक्ष की होगी।
 - (9) उक्त स्थानान्तरण मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या-164/2013 दौलत राम सेमवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18 जून 2018 के प्रस्तर-22 के अधीन रहेंगी, जिसमें उल्लिखित है कि "कोई स्थानान्तरण/पदस्थापना मैदानी जनपदों देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में तब तक नहीं होगी जब तक 70 प्रतिशत शिक्षकों की संख्या पर्वतीय जनपदों में न भरी जाय"। अतः समस्त संस्थाध्यक्ष/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या/प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुसार शिक्षकों को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाय।

डॉ.(एस.बी. जोशी)

अपर शिक्षा निदेशक, (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौडी।



पृष्ठांकन संख्या/सेवा.अराज./ ५६४५-१४

/३क(२)/वा.स्था./ 2024-25 / दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
4. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून।
5. अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. देहरादून।
6. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस आशय से की उक्त सूची में अंकित सहायक अध्यापक एल0टी0 को अनिवार्य रूप से कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धितों को अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें व कार्यभार ग्रहण व कार्यभार मुक्ति की संकलित सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करायें।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)।
8. सम्बन्धित प्राचार्य, डायट

9. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
10. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
11. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) से प्राप्त कर लें व अपने विकासखण्ड से स्थानान्तरित शिक्षक के प्रधानाचार्य को आदेश उपलब्ध करवाते हुये कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करवाने हेतु अपने स्तर से भी अवगत करायें। स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें व विकासखण्ड स्तर से स्थानान्तरित शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण/कार्यभार मुक्त की सूचना संकलित कर सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें।
12. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आपकी संस्था से स्थानान्तरित शिक्षक को बिना प्रतिस्थानी के तत्काल कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें।
13. प्रभारी, एम.आई.एस., महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालयी शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।
14. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैनाती विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
15. कार्यालय प्रति।


 अपर शिक्षा मिंदेशक, (मा.शि.)

 गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालयः- अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी

E-mail- adgarhwalmandalpauri@gmail.com

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ ५३३ / ३क(२)/ अनि.स्था./ २०२४-२५/ दिनांक ३० जुलाई २०२४

स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार अनिवार्य स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम हेतु तैयार की गयी पात्रता सूची में शासनादेश संख्या 198739 / XXX(2)/E-33080 दिनांक 14.03.2024, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड के कार्यवृत्त /विविध/ 2116-22/स्थानान्तरण/2024-25 दिनांक 02 मई 2024, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक /सेवा-2/3(क)/2(1)/वा०स्थाना० / 3456-69 / 2024-25 दिनांक 15 मई 2024, शासनादेश संख्या- 221278 / XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 28 जून 2024, शासनादेश संख्या 223526 / XXX(2)/2024/E33080 दिनांक 08 जुलाई 2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अधिनियम की धारा 17(1)(ग) दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के प्राविधानानुसार गढ़वाल मण्डलान्तर्गत स०अ०एल०टी० स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं के द्वारा उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ- 4 के विद्यालय/संस्था से स्तम्भ- 5 में उनके द्वारा कांउसिलिंग के माध्यम से चयनित/स्थानान्तरण अधिनियम में दी गयी व्यवस्थानुसार सुगम क्षेत्र के विद्यालय में अनिवार्य रूप से स्थानान्तरित किया जाता है-

सहायक अध्यापक एल०टी० (सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय/संस्था का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1	श्री शमशेर सिंह चौहान	सामाजिक विज्ञान	रा०इ०का० जखोल, मोरी, उत्तरकाशी	रा०आ०इ०का० हुडोली, पुरोला, उत्तरकाशी
2	श्री सुजान सिंह	अंग्रेजी	रा०उ०मा०वि० बरसिर, जखोली, रुद्रप्रयाग	रा०इ०का० चोपडा, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग
3	श्री दिनेश लाल	अंग्रेजी	रा०उ०मा०वि० होल्टा, भिलंगना, टिहरी	रा०उ०मा०वि० रौंसाल, भिलंगना, टिहरी
4	श्री मदन सिंह रावत	अंग्रेजी	रा०उ०मा०वि० क्यार्क बरसूडी, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	रा०इ०का० चन्द्रापुरी, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग
5	श्री जसपाल सिंह मिया	व्यायाम	रा०इ०का० बिनकखाल, भिलंगना, टिहरी	रा०इ०का० केमरा केमर, भिलंगना, टिहरी
6	श्री देवी प्रसाद तिवारी	व्यायाम	रा०इ०का० मोख, नंदानगर, चमोली	रा०उ०मा०वि० उमट्टा, कर्णप्रयाग, चमोली
7	श्री केशव राम	अंग्रेजी	रा०इ०का० हर्षिल, भटवाडी, उत्तरकाशी	रा०इ०का० बर्नीगाड, नौगाँव, उत्तरकाशी
8	श्री धर्मनन्द चमोला	सामाजिक विज्ञान	रा०उ०मा०वि० बष्टी, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	रा०इ०का० मयकोटी, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग
9	श्री मोहन सिंह नेगी	सामाजिक विज्ञान	रा०इ०का० घिमतोली, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	रा०इ०का० कण्डारा, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग
10	श्री चन्द्रमोहन नैथानी	व्यायाम	रा०इ०का० कालेश्वर, पौड़ी, पौड़ी	रा०इ०का० उज्याडी, पौड़ी, पौड़ी
11	श्री भरत सिंह कुँवर	विज्ञान	रा०इ०का० सलियाना, कर्णप्रयाग, चमोली	रा०इ०का० बगासूधार, चम्बा, टिहरी
12	श्री यशपाल सिंह राणा	व्यायाम	रा०इ०का० हिंसरियाखाल, कीर्तिनगर, टिहरी	रा०इ०का० डामटा, नौगाँव, उत्तरकाशी

13	श्री जयवीर सिंह	सामाजिक विज्ञान	रा०उ०मा०वि० नलगांव, नारायणबगड़, चमोली	रा०इ०का० कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली
14	श्री सुशील कुमार	अंग्रेजी	रा०उ०मा०वि० कनोठाखाल, पोखरा, पौडी	रा०उ०मा०वि० बहेड़ा, चम्बा, ठिहरी
15	श्री रमेश सिंह आर्य	गणित	रा०इ०का० मरोडा, गैरसैण, चमोली	रा०इ०का० गैरसैण, चमोली
16	श्री विनोद कुमार	गणित	रा०इ०का० डांगी नैलचामी, भिलंगना, ठिहरी	रा०उ०मा०वि० लामरीधार, जाखणीधार, ठिहरी
17	श्री दिनेश सिंह	कला	रा०इ०का० रामाश्रम, जखोली, रुद्रप्रयाग	रा०उ०मा०वि० खाण्ड, चम्बा, ठिहरी
18	श्री राकेश मोहन बलोदी	व्यायाम	रा०इ०का० चम्पेश्वर, पावौ, पौडी	रा०इ०का० कोट, पौडी
19	श्री हरेंद्र सिंह	कला	रा०इ०का० पांजाणा, जखोली, रुद्रप्रयाग	रा०इ०का० बछेलीखाल, देवप्रयाग, ठिहरी
20	श्री सतीश चंद्र पंत	कला	रा०इ०का० जाख, कर्णप्रयाग, चमोली	रा०उ०मा०वि० पीतपुर, बहादराबाद, हरिद्वार
21	श्री सतीश चंद्र पांडे	कला	रा०उ०मा०वि० मालकोट, पोखडा, पौडी	रा०उ०मा०वि० पाटीसैण, एकेश्वर, पौडी

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम—2017 की धारा—22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि के पश्चात एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (2) सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करेंगे।
- (3) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (4) स्थानान्तरित किये गये शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा—24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (5) कार्यमुक्त होने वाले शिक्षक/शिक्षिकायें नियमानुसार अनुमन्य 'कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time)' का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा कार्यमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- (6) स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के पश्चात तीन दिनों के अन्तर्गत निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा। प्रत्यावेदन निदेशालय की ई.मेल.आई.डी. edusewa12@gmail.com पर भी निर्धारित अवधि में दिया जा सकेगा।
- (7) उक्त स्थानान्तरण ई-पोर्टल में दी गयी सूचनाओं के आधार पर किये गये हैं यदि किसी अध्यापक/अध्यापिका के सम्बन्ध में कोई सूचना भिन्न होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित विद्यालय के संस्थाध्यक्ष की होगी।

उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाय।

डॉ.(एस.बी./जोशी)

अपर शिक्षा निदेशक, (मा.शि.)

मढ़वाल मण्डल पौडी।


पृ०सं०/सेवा.अराज./ ५७१३ - २६

/३क(२)/अनि.स्था./२०२४-२५/दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

4. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून।
5. अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. देहरादून।
6. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस आशय से की उक्त सूची में अंकित सहायक अध्यापक एल0टी0 को अनिवार्य रूप से कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धितों को अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें व कार्यभार ग्रहण व कार्यभार मुक्ति की संकलित सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करायें।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)।
8. सम्बन्धित प्राचार्य, डायट
9. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
10. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
11. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) से प्राप्त कर लें व अपने विकासखण्ड से स्थानान्तरित शिक्षक के प्रधानाचार्य को आदेश उपलब्ध करवाते हुये कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करवाने हेतु अपने स्तर से भी अवगत करायें। स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें व विकासखण्ड स्तर से स्थानान्तरित शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण/कार्यभार मुक्त की सूचना संकलित कर सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें।
12. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आपकी संस्था से स्थानान्तरित शिक्षक को बिना प्रतिस्थानी के तत्काल कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें।
13. प्रभारी, एम.आई.एस., महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालयी शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।
14. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैनाती विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
15. कार्यालय प्रति।


 अपर शिक्षा निदेशक, (मा.शि.)
 मढ़वाल मण्डल पौड़ी।